



कार्यालय/OFFICE OF THE
प्रधान मुख्य आयुक्त आयुक्त बिहार और झारखण्ड
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX BIHAR & JHARKHAND
प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन/1st FLOOR, C.R BUILDING,

बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-८००००१/BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001

दूरभाष नं : ०६१२-२५०४४४७, फैक्स : ०६१२-२५०४०६६/TEL NO : 0612-2504447, FAX 0612-2504066

ईमेल/Email - patna.pccit@incometax.gov.in

वर्ष 2023 का आदेश संख्या- ४४

दिनांक 01.03.2023

F. No. PCCIT/PAT/Estt./25015/18/2017-18/ रिक्ति वर्ष 2023 के लिए 09.02.2023 को आयोजित डीपीसी द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसार, कार्यालय अध्यक्ष संवर्ग के निम्नलिखित कर्मियों को प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी III के संवर्ग में, वेतनमान रु. 44,900/- से रु. 1,42,400/- 7 वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर नियमित रूप से स्वस्थ न आधार पर तत्काल प्रभाव से अथवा नए पद पर योगदान देने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है। यं आधिकारिक अगल आदेश तक उन्हीं कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसे वे वर्तमान कार्यालय में अपनी पदोन्नति से पहले कर रहे थे।

F. No.PCCIT/Estt/Pat/25015/08/2017-18/..... Pursuant to the panel recommended by the DPC held on 09.02.2023 for Vacancy Year 2023, the following official in the cadre of Office Superintendent is hereby promoted as Administrative Officer Gr.-III(AO-III) in the Pay Scale of Level 7, Pay Matrix Rs. 44,900/- - Rs. 1,42,400/- (as per 7th CPC) on regular basis with immediate effect or from the date of joining, whichever is later. This promotion is being effected on *In Situ* basis and the official will continue to discharge the same functions and duties as he was discharging before his promotion in the present office where he is posted until further order:

Sl. No.	Name (Shri/Smt./Ms.)	Cat.	D.O.B	Employee No.
1.	Hiralal Kapadja	SC	11.05.66	126347

शर्तें/Conditions.

- उपरोक्त अधिकारियों की उपरोक्त पदोन्नति-पारस्परिक वरिष्ठता इस संबंध में प्राप्त प्रशासनिक आदेश के साथ-साथ कानूनी फोरम के किसी भी अन्य निर्देश/आदेश, यदि कोई हो, के मद्देनजर प्रत्यावर्तन-संशोधन के अधीन होगी।
The above promotion/inter-se-seniority of the above named Officer shall be subject to reversion/revision in view of any further directions/orders of legal forum as well as administrative orders in this regard, received if any.
- उक्त पदोन्नति आदेश किसी भी आकस्मिकता जैसे रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों में परिवर्तन आदि के साथ-साथ किसी न्यायालय/सीबीडीटी/डीओपीटी और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी निर्देश के आलोक में समीक्षा/प्रत्यावर्तन के अधीन है।
The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDF/DoPT and any other Competent Authority.
- उपरोक्त पदोन्नति आदेशों CWP संख्या 13218/2009 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय एवं दिनांक 15.07.11 के आदेश के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 30621/2011 की विशेष अनुमति में और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 31288/2017 में एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा0 सं0 36012/11/2016-Estt (pes-1) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के अनुसार

बी. आर. म. 7-5-0
2.03.23
8/3/2023

The compliance report regarding joining of the above officials shall be forwarded by the concerned Head of the Office within seven days of joining of such official.


हस्ता/ (जी एन मकवाना)
आयकर आयुक्त (प्रशा & टी पी एस), पटना

ज्ञापांक/Memo No. F.NO/PCCIT/PAT/ESTT/25015/08/2017-18 / 11894

दिनांक /Dated: 01.03.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित / Copy for information to:

1. आयकर महानिदेशक (अनवे.), पटना / The DGIT (Inv.), Patna
2. मुख्य आयकर आयुक्त, राँची / The CCIT, Ranchi.
3. बिहार एवं झारखंड के अंतर्गत सभी प्र. आ आ / प्र आ नि / आ आ / आ नि /
All the PCsIT/PDsIT/CsIT/DsIT under Bihar & Jharkhand.
4. बिहार एवं झारखंड के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय अधिकारी / All the ZAOs under Bihar & Jharkhand.
5. महासचिव, आई टी ई एफ/आई टी जी ओ ए/आई टी एस ई वी ए, बिहार एवं झारखंड सर्किल, पटना
The GS, ITEF/ITGOA/ITSEVA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna.
6. कर्मचारी सम्बद्ध / Official(s) concerned
7. ITO(Welfare) O/o Pr. CCIT (B&J)
8. गार्ड फ़ाइल / Guard File.



(एम के प्रभात)

संयुक्त आयकर आयुक्त(स्वस्थाने) (मुख्यालय) (प्रशा.)
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार & झारखंड, पटना

संज्ञित संबंधित न्यायिक मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित/ दिए गए आदेश/ निर्देश के अंतर्गत समीक्षा के अधीन होगी।

The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed/given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt-II) dated 15.06.2018

4. उपरोक्त पदोन्नति आदेश एन आर परमार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में को दिये गए निर्णय 27.11.2012 के लागू करने के संबंध में बोर्ड के पत्र संख्या A-35015/26/2018-Ad.Vi दिनांक 27th May, 2019 के द्वारा दिये गए निर्देश के संबंध में पोषक संवर्ग में आपसी बरिष्ठता के पुनर्रक्षण के अधीन होगी।

The said promotion order is subject to review in respect of revision/re-fixation of inter-se-seniority in feeder cadres in view of direction contained in Board's letter F.N. A-35015/26/2018-Ad.Vi dated 27th May, 2019 regarding implementation of the order dated 27.11.2012 of Hon'ble Supreme Court in the matter of N.R.Parnar.

पदोन्नति पर कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण केंद्रीय सेवा नियम (पुनर्रिक्त वेतन) के अनुसार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार होगा।

The pay of the officials on promotion may be fixed in accordance with the recommendations as per the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, applicable.

6. यदि एमएससीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान कर दिया गया है तो प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 35034/2008-Estt (D) दिनांक 19 मई 2009 और कार्यालय विज्ञापन संख्या 35034/3/20015 -Estt (D) दिनांक 28 सितंबर 2016 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार इस ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा तथापि कुछ मामलों में जहाँ नियमित पदोन्नति दो अनुकार्मिक वेतन मैट्रिक्स या ग्रेड के बीच नहीं हैं वहाँ संबंधित संवर्ग या संगठन के पदक्रम में आगामी पदोन्नति पद से संबंधित उच्चतर ग्रेड वेतन/मैट्रिक्स नियमित पदोन्नति के समय देय होगा।

No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial up-gradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.

7. यह ध्यान दिया जाए कि उपरोक्त पदोन्नति को अस्वीकार करने की स्थिति में जिन कर्मचारियों को इस आदेश के अनुसार पदोन्नति दी गई है उन्हें DOPT OM NO.22011/5/91-EStt(D) तारीख 27 मार्च 1997 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले रिक्ति उत्पन्न होने तक जो भी बाद में हो प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी III के पद पर पदोन्नति होने से वंचित कर दिया जाएगा।

It may be noted that in the event of refusing the above promotion the official getting promotion as per his order shall be debarred from promotion to the post of Administrative Officer, Grade-III for a period of one year from the date of refusal of the said promotion or till a next vacancy arises, whichever is later, as per the DOPJ OM No. 22011/5/91-Estt. (D) dated 27.03.97.

8. मक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक तैनाती होने तक यह पदोन्नति स्वस्थाने आधार पर प्रभावी होगी और कर्मचारी उन्हीं कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो वे पदोन्नति के पूर्व कर रहे थे।

This promotion is being effected on *In Situ* basis and the official will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotion till their formal postings are decided by the Competent Authority.

9. उपरोक्त कर्मि संग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट कर्मियों के कार्य ग्रहण के सात दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा इस कार्यक्रम में अग्रसारितियों की का की जाएगी।